

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग  
(अनुभाग-1)

संख्या प. 13(1)प्र0सु0/सम0/अनु-1/2008

जयपुर, दिनांक : 5.10.2011

अधिसूचना

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित सेवाओं, जिन पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे व उन सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	विभाग	विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा		सेवा प्रदान करने की समयवावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो।
		क्र.सं.	सेवा का विवरण						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ऊर्जा विभाग	44	(ए) नये घरेलू, अव्यवसायिक कनेक्शन जारी करना (विद्युतीकृत क्षेत्रों में) (अ) डिमाण्ड नोट जारी करना	आवेदन पत्र प्राप्त होने से 21 दिवस की अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	इलेक्ट्रिफाईड एरियाज में नये घरेलू/व्यवसायिक एवं औद्योगिक कनेक्शन देने के प्रावधान क्रम संख्या 1 एवं 2 (44) में वर्णित किये गये हैं एवं नोन इलेक्ट्रिफाईड एरियाज में उपरोक्त कनेक्शन देने के प्रावधान क्रम संख्या 5 (48) में वर्णित किये गये हैं। नोट-(i) विद्युत

		(ब) कनेक्शन जारी करना (जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार की आवश्यकता न हो)	औपचारिकता पूर्ण करने व डिमाण्ड नोट जमा करवाने के बाद शहरी क्षेत्रों में 30 दिवस की अवधि, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस की अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	लाइन/ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिये स्थान के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिये आवेदक उत्तरदायी होगा। उक्त दी गयी दिवसों की गणना अनुसूची के अनुसार विवाद की स्थिति, न्यायालय के स्थगन, स्थान के लिये विवाद और अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुए विलम्ब में नहीं की जाएगी। आवेदक को इस प्रकार के प्रकरणों के लिये लिखित से सूचित कर दिया जाएगा। (ii) दिवस से तात्पर्य कार्य दिवसों से है। (iii) उक्त समय सारिणी सामान्य कार्य दशा में अनुप्रयोज्य है।
		(II) विद्युतीकृत संस्थितियों में नये औद्योगिक कनेक्शन जारी करना		सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
		1. संभव्यता (Feasibility) की रिपोर्ट जारी करना (अ) लोड 300 से अधिक 3000 कि.वा तक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 45 दिवस की अवधि में					
		(ब) लोड 3000 कि.वों से अधिक 33 के.वी सप्लाय तक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 45 दिवस की अवधि में					
		(स) 132 के.वी से अधिक उच्च वोल्टेज,	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 60 दिवस की अवधि में					

		2 डिमाण्ड नोट जारी करना					
		(अ) लोड 60 एच पी तक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 21 दिवस की अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
		(ब) लोड 60 एच.पी से अधिक 300 कि.वॉ तक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में				
		(स) लोड 300 कि.वॉ से अधिक 3000 कि. वॉ तक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 60 दिवस की अवधि में				
		(द) लोड 3000 कि.वा. से अधिक 33 के.वी आपूर्ति तक	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 60 दिवस की अवधि में				
		(ध) 132 के.वी. से अधिक उच्च वोल्टेज	प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 120 दिवस की अवधि में				
		3 कनेक्शन जारी करना					
		(जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार की आवश्यकता न हो)					
		(अ) लोड 60 एच पी तक	डिमाण्ड नोटिस/ अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात् 30 दिवस की अवधि में।	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

		(ब) लोड 60 एच.पी से अधिक 300 कि.वॉ तक	डिमाण्ड नोटिस/अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् 60 दिवस की अवधि में।					
		(स) लोड 300 कि.वॉ से अधिक 3000 कि.वॉ तक	डिमाण्ड नोटिस/अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् 75 दिवस की अवधि में।					
		(द) लोड 3000 कि.वा. से अधिक 33 के.वी आपूर्ति तक	डिमाण्ड नोटिस/अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् 90 दिवस की अवधि में।					
		(घ) 132 के.वी. से अधिक उच्च वोल्टेज	डिमाण्ड नोटिस/अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् 180 दिवस की अवधि में।					
	45	विद्युत बिल को ठीक करवाना						
		(i) गलत विपत्र/अनुचित टैरिफ/ विद्युत विपत्र प्राप्त न होना/ अपर्याप्त समय की शिकायत	3 घंटे के भीतर - यदि उपभोक्ता द्वारा या दूरभाष द्वारा सूचित	सहायक राजस्व अधिकारी	लेजर कीपर	सहायक अभियन्ता	अधिश्रापी अभियन्ता	

			किया जाता है। डाक से प्राप्त होने पर 7 दिवस की अवधि में।					
	(II) गणितीय त्रुटि या विद्युत विपत्र भुगतान के लिये दिये अपर्याप्त समय की शिकायत	सूचित किये जाने वाले दिवस में  शिकायत डाक द्वारा प्राप्त होने वाले दिवस में	सहायक राजस्व अधिकारी	लेजर कीपर	सहायक अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता		
	(III) अन्य विपत्र सम्बन्धित शिकायत	7 दिवस में	सहायक राजस्व अधिकारी	लेजर कीपर	सहायक अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता		
	(IV) अन्य शिकायत	30 दिवस में जाँच करने के पश्चात् 60 दिवसों में उसका संशोधन कर दिया जाएगा	सहायक अभियन्ता	सहायक राजस्व अधिकारी	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता		
	(V) उच्च तापीय उपभोक्ता के विद्युत विपत्र सम्बन्धित शिकायत	3 दिवसों में	सहायक लेखाधिकारी ( एच.टी बिलिंग)	लेखाकार	वरिष्ठ लेखाधिकारी ( एच.टी बिलिंग)	मुख्य लेखाधिकारी		
46	मीटर बदलवाना							

			i) निगम द्वारा निरीक्षण, चैकिंग एवम् टैस्टिंग के दौरान मीटर के खराब (बंद होने, धीरे चलने, तेज चलने, एवम् सही रीडिंग रिकार्ड नहीं होने की स्थिति) पाये जाने पर	60 दिवस (खराबी पता चलने के दिन से)	कनिष्ठ अभियन्ता	लाईन मैन	सहायक अभियन्ता	अधीशाषी अभियन्ता	
			ii) उपरोक्ता द्वारा मीटर के सही न चलने एवम् इसे बदले जाने के लिए आवेदन पश्चात्	15 दिवस	कनिष्ठ अभियन्ता	लाईन मैन	सहायक अभियन्ता	अधीशाषी अभियन्ता	
		47	विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना						
			i) वोल्टेज सम्बन्धित शिकायत/ विद्युत आपूर्ति में किसी भी कारण आर व्यवधान जैसे कि उपरोक्ता के परिसर में या वितरण ट्रांसफार्मर के एल.टी./एच.टी फ्यूज/एम.सी.बी के कारण, या कनेक्शन के ढीले होने या मीटर, एम.सी.बी, सर्विस लाइन से कनेक्शन विच्छेदित होने पर ( लाइन के फाल्ट, विद्युत वितरण और पावर ट्रांसफार्मर के असफल होने के अतिरिक्त )  प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे	4 घंटे की अवधि में औद्योगिक, म्युनिसिपल, रक्षा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक क्षेत्र में।  24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में	कनिष्ठ अभियन्ता	एस.बी.ए.	सहायक अभियन्ता	अधीशाषी अभियन्ता	
			ii) रात्रि में प्राप्त विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिगत शिकायत रात्रि 10 बजे से प्रातः 8 बजे	अगले दिन 4 घंटे की अवधि में औद्योगिक, म्युनिसिपल, रक्षा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक क्षेत्र में।  24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में	कनिष्ठ अभियन्ता	एस.बी.ए.	सहायक अभियन्ता	अधीशाषी अभियन्ता	

			iii) लाइनो के फाल्ट	8 घंटे की अवधि में औद्योगिक, म्युनिसिपल, रक्षा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक क्षेत्र में।  24घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में	कनिष्ठ अभियन्ता	लाइन मैन	सहायक अभियन्ता	अधीशापी अभियन्ता	
			iv) वितरण ट्रांसफार्मरों की विफलता	औद्योगिक, म्युनिसिपल, रक्षा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर को बदलने एवं पुनःस्थापित करने की स्थिति में दो दिवस।  ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् 7 दिवस, एवं 3 दिवस सत्यापित होने के पश्चात् या जो भी पहले हो।	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधीशापी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	

		v) पावर ट्रांसफारमर स्विच गीयर से सम्बन्धित की विफलता	7 दिवस यदि पुनस्थापित करना तकनीकी रूप से संभव हो तो 2 दिवस	अधीशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	
	48	इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेवाओं से संबंधित मामलों में शर्तों के साथ सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान						
		(I) नये घरेलू व्यवसायिक कनेक्शन जारी करना						
		(i) (जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार की आवश्यकता हो) (अ) एल.टी लाइन	15 दिवस अतिरिक्त	सहायक अभियन्ता	अधीशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	
		(ब) 11 के.वी लाईन—प्रथम 5 कि.मी. तक — अगले प्रति 5 कि.मी	30 दिवस अतिरिक्त 15 दिवस अतिरिक्त					
		(स) 33 के.वी लाईन—प्रथम 5 कि.मी. तक — अगले प्रति 5 कि.मी	60 दिवस अतिरिक्त 30 दिवस अतिरिक्त					
		(द) 132 के.वी लाईन— प्रथम 5 कि.मी. तक — अगले प्रति 5 कि.मी	180 दिवस अतिरिक्त 45 दिवस अतिरिक्त					
			नोट:- विस्तार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्					

			निगम द्वारा अधिष्ठापना का निरीक्षण कर 15 दिवस की अवधि में कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।					
		(ii) जहाँ नया सब स्टेशन अपेक्षित है।						
		(अ) 11/के.वी 0.4 के.वी. सब -स्टेशन	अतिरिक्त 30दिवस	सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	
		(ब) 33/11 के.वी. सब-स्टेशन	अतिरिक्त 120 दिवस					
		(स) 33/11 के.वी.4 के.वी.सब-स्टेशन पर खण्ड(Bay) का विस्तार	अतिरिक्त 30 दिवस					
		(द) 132/33/11 के.वी. सब -स्टेशन	अतिरिक्त 12 महीने					
		(घ) 132 केबी सब स्टेशन पर खण्ड का विस्तार	अतिरिक्त 45 दिवस					
		(iii) जहाँ ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की क्षमता में आवर्धन किया जाना है वहा आपूर्ति		सहायक अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	
		(अ)11/0.4 के.वी.सब-स्टेशन	अतिरिक्त 15 दिवस					
		(ब) 33/11 के.वी.सब-स्टेशन	अतिरिक्त 80 दिवस					

		(स) 132/33/11 के.वी. सब -स्टेशन	अतिरिक्त 6 माह					
		(II) नये औद्योगिक कनेक्शन जारी करना  (i) (जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार की आवश्यकता  (सभी प्रकार के लोड के लिये)  (अ ) एल.टी लाईन  (ब) 11/के.वी. लाईन - प्रथम 5 कि.मी.तक  - अगले प्रति 5 कि.मी  (स) 33/11 लाईन - 1.5 कि.मी तक  - अगले प्रति 5 कि.मी  (द) 132/33/11 के.वी.लाईन - 1.5 कि.मी तक  - अगले प्रति 5 कि.मी	15 दिवस अतिरिक्त  30 दिवस अतिरिक्त  15 दिवस अतिरिक्त  60 दिवस अतिरिक्त  30 दिवस अतिरिक्त  180 दिवस अतिरिक्त  45 दिवस अतिरिक्त	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	-
			नोट:- विस्तार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् निगम द्वारा अधिष्ठापना का निरीक्षण कर 15					

			दिवस की अवधि में कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।					
		(ii) जहाँ नया सब-स्टेशन या ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन का आवर्धन अपेक्षित हो वहा आपूर्ति		सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
		(अ) 11/के.वी 0.4 के.वी.सब-स्टेशन	अतिरिक्त 30 दिवस					
		(ब) 33/11 के.वी.4 के.वी. सब-स्टेशन	अतिरिक्त 120 दिवस					
		(स) 33/11 के.वी.4 के.वी. सब-स्टेशन पर खण्ड(Bay) का विस्तार	अतिरिक्त 30 दिवस					
		(द) 132/33/11 के.वी. 4 के.वी.सब - स्टेशन	अतिरिक्त 12 महीने					
		(ध) 132 केबी सब स्टेशन पर खण्ड का विस्तार	अतिरिक्त 45 दिवस					
		(iii) जहाँ ट्रांसफार्मर सब- स्टेशनकी क्षमता में आवर्धन किया जाना है वहाँ आपूर्ति		सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी, अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
		(अ) 11/के.वी.4 के.वी.सब-स्टेशन	अतिरिक्त 15 दिवस					
		(ब) 33/11 के.वी.सब-स्टेशन	अतिरिक्त 60 दिवस					
		(स) 132/33/11 के.वी.4 के.वी.सब - स्टेशन	अतिरिक्त 6 माह					